



Neutral Citation No. – 2026:AHC: 64244

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –

10008 वर्ष 2025

ओंकार सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : सुधीर कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 352 वर्ष 2019, धारा 376 भा.दं.सं., थाना-इजतनगर, जिला बरेली में विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक एवं पीड़िता भारतीय वायु सेना में कार्यरत थे। पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज कराया है। आवेदक ने कभी विवाह का कोई झूठा वादा नहीं किया। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. संख्या 43006 वर्ष 2019 में चुनौती दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 10.12.2019 के आदेश द्वारा आवेदक को अंतरिम राहत प्रदान की थी तथा मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि मध्यस्थता आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि पीड़िता मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए उपस्थित होने में विफल रही। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अंतरिम आदेश का विस्तार नहीं किया जा सका और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (2018) 16 एस सी सी 299 के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव के कारण मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही पुनः प्रारंभ हो गई। आवेदक ने अगस्त, 2024 के महीने में अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है, तथापि आज तक उस पर सुनवाई नहीं हो सकी है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस बीच आवेदक के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी कर दिया गया है और अपनी गिरफ्तारी की आशंका से आवेदक ने संबंधित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे खारिज कर दिया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और तत्पश्चात यह अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जो परिवारवाद संख्या 87 वर्ष 2020 है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला स्वयं पीड़िता/प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा दर्ज कराया गया था और उसके पश्चात अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके बाद आवेदक को परिवार पर विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया है।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।
8. मामले के तथ्य इंगित करते हैं कि आवेदक एवं पीड़िता दोनों भारतीय वायु सेना में कार्यरत थे। आवेदक एवं पीड़िता के मध्य संबंध था, जो बाद में समाप्त हो गया प्रतीत होता है। घटना वर्ष 2019 की बताई गई है। जांच के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसे इस न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत भी प्रदान की गई थी, यद्यपि वह पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता के आधार पर थी।
9. इस न्यायालय ने दिनांक 30.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।

2. आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

3. बहस के दौरान इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि आवेदन अंतर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. संख्या-43006 वर्ष 2019 में दिनांक 10.12.2019 के आदेश द्वारा आवेदक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था, जो आज इस

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मामले में दाखिल अनुपूरक शपथपत्र के साथ संलग्न है, किंतु अभिलेख पर ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि उक्त संरक्षण इस न्यायालय द्वारा किसी भी समय वापस लिया गया था।

4. अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अभी भी उपर्युक्त आदेश के अंतर्गत संरक्षित है और उसे गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं हो सकती है।

5. इस प्रकार, आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त आवेदन अंतर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. की अद्यतन स्थिति से इस न्यायालय को अवगत कराए।

6. इस मामले को दिनांक 12.02.2026 को नवीन वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।"

10. अनुपूरक शपथपत्र के माध्यम से आज दाखिल की गई आदेश-पत्रिका के परिशीलन से पता चलता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बावजूद आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा पारित दिनांक 07.06.2023 के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ़ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसके अनुसरण में आवेदक की उपस्थिति हेतु समन जारी किए गए हैं।

11. इस न्यायालय की राय में, आवेदक के पक्ष में कोई अंतरिम संरक्षण प्रभावी नहीं है और इस प्रकार आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. मैंने उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया है और इस न्यायालय की राय में, आवेदक, जिसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, संबंधित न्यायालय के समक्ष विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का अधिकारी है।

13. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

14. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित आवेदक-**ओंकार सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और उन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

26 मार्च, 2026

निशा

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”